95

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3416–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–9–2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर म0प्र0 प्रकरण कमांक 17/स्व0निग0/2014–15.

1. वीर सिंह पुत्र सुक्का हरिजन
2. मिठुआ पुत्र श्री जोधा हरिजन
3. श्रीमती मीना बाई पत्नी लक्ष्मण सिंह रघुवंशी
   निवासीगण ग्राम खुजराई तहसील
   मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. कमला पुत्र भमरा हरिजन
2. देशराज पुत्र श्री कमला हरिजन
3. श्रीमती रामकली पत्नी स्व0 श्री लाल सिंह
   समस्त निवासीगण ग्राम खुजराई तहसील
   मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0

——— अनावेदकगण

4. रघुवीर पुत्र ऊधम हरिजन (फोत)
   मृतक द्वारा वारिसान–
(1) श्रीमगी पवनलता पत्नी स्व0 श्री रघुवीर
(2) अजय पुत्र स्व0 श्री रघुवरी
(3) कृष्णपाल पुत्र स्व0 श्री रघुवरी
(4) कु0 अंजली पुत्री स्व0 श्री रघुवीर

———तरतीवी पक्षकार

.....

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर

अशोकनगर के आदेश दिनांक 21–9–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 64/अ–19/94–95 में दिनांक 11–7–1995 को सर्वे कमांक 98/1 रकवा 5.915 हे0 के पटटे म0प्र0 शासन दखल रहित अधिनियम के तहत भूमिस्वामी प्रदान किये गये। नायब तहसीलदार परगना मुंगावली जिला गुना द्वारा प्रकरण कमांक 43/अ–19/2001–02 पारित आदेा दिनांक 11–5–2002 को आवेदक के पट्टे निरस्त करते हुये अनावेदकगणों को पट्टे दिये। आवेदकगणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला गुना के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसमें प्रकरण कमांक 75/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 16–10–2002 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11–5–2002 निरस्त किया। अनावेदकगण द्वारा आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें आयुक्त द्वारा दिनांक 6–3–2007 को कलेक्टर को सुनवाई हेतु भेजा। कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही प्रारंभ की। कलेक्टर के समक्ष आवेदकगण ने दिनांक 23–8–16 धारा 10 व्यवहार प्रकिया का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 21–9–16 को आवेदक का उक्त आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश कर की जा रही कार्यवाही को वरिष्ठ न्यायालय के निर्णय तक रोके जाने का अनुरोध किया गया था जबकि वरिष्ठ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 06–3–2007 से प्रकरण कलेक्टर को कार्यवाही हेतु भेजा था। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा जिन पक्षकारों के मध्य

प्रकरण अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित होना बताया वह कलेक्टर के समक्ष प्रचलित प्रकरण से भिन्न होने के कारण ही कलेक्टर ने आवेदकगण का आवेदन निरस्त किया है और अधीनस्थ न्यायालय के तलब करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 24–4–2009 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर